न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या – 4 / 2010 जिला सीकर

1. श्रीमती बिदामी देवी पत्नी स्व. श्री नारायणराम, जाति कुमावत , निवासी टोडा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर ।

अपीलार्थिया

बनाम

1. मस्जिद टोडा जरिए भादर खां पुत्र सुगन खां, जाति फकीर पदाधिकारी मस्जिद कमेटी टोडा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर ।
2. तहसीलदार नीमकाथाना, जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला कलक्टर सीकर दिनांक 24.12.2009

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री नेमीचन्द जलवानिया
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री राकेश कुमार वर्मा

निर्णय

दिनांक – 14.11.2017

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 24.12.2009 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम टोडा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 1074 रकबा 0.49 हैक्टेयर किस्म सिवाय चक के स्थान पर मस्जिद ग्रम टोडा के नाम नामांतरकरण संख्या 1121, तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा दिनांक 5.6.2009 को मुताबिक आवंटन आदेश उप खण्ड अधिकारी स्वीकार किया गया । उक्त नामांतरकरण से व्यथित होकर अपीलान्ट श्रीमति बिदामी देवी द्वारा अपील न्यायालय जिला कलक्टर सीकर के समक्ष प्रस्तुत की गई , जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.12.2009 द्वारा खारिज किये जाने पर अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं न्यायालय तहसीलदार द्वारा पारित नामांतरकरण संख्या 1121 दिनांक 5.6.2009 एवं जिला कलक्टर सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.12.2009 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

चित्रा

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यो को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि ग्रम टोडा , तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर के खसरा नम्बर 1074 रकबा 0.49 हैक्टेयर किस्म गै.मु. काबिज काश्त राजस्व रिकार्ड में अंकित थी जिसके उत्तर दिशा में अपीलार्थिया की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1066 बंजड अवस्थित है जिस पर एवं खसरा नम्बर 1074 गै.मु. काबिज काश्त के कुछ हिस्से पर अपीलार्थिया का कब्जा चला आ रहा है तथा कुछ हिस्से पर अपीलार्थिया के अलावा अन्य व्यक्तियों की दुकाने व बाडे बने हुये हैं और काबिज है । दिनांक 10.6.2009 को रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 भादर खां पुत्र सुगन खां द्वारा अपीलार्थिया की कब्जेशुदा भूमि खसरा नम्बर 1074 पर बाड को उखाडने लगा तो मना करने पर कहा कि सारी जमीन मस्जिद की है ओर मस्जिद के नाम नामांतरकरण

भरवाया गया है । उनका कहना था कि तहसीलदार द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व विवादित भूमि पर कब्जे काश्त की जॉच नहीं की । नामांतरकरण सिर्फ गैर मुमकिन काबिज काश्त का नहीं भरा जा सकता था। प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 1074 आवंटन सलाहकार समिति ग्रम टोडा तहसील नीमकाथाना द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 29.12.1975 की पालना में मस्जिद टोडा के नाम तहसीलदार द्वारा दिनांक 5.6.2009 को तस्दीक किया है । आवंटन के बाद विवादित भूमि पर मस्जिद टोडा के पदाधिकारी द्वारा न तो कभी नामांतरकरण भरवाया गया और न ही कब्जा किया गया इस कारण आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जाता है । मस्जिद टोडा के पदाधिकारी द्वारा दिनांक 16.9.2008 के बाद एक वाद इस्तकरार हक रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना में पेश किया था , जो अदम हाजरी में खारिज हो गया । इसके बाद उप खण्ड अधिकारी द्वारा नामांतरकरण भरने का आदेश पारित किया है जिसके तहत बिना मौका देखे तहसीलदार द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक किया है । उनका कहना था कि विवादित भूमि पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा होने का ज्ञान तहसीलदार को था । तहसीलदार द्वारा धारा 91 के तहत कब्जा हटाने के नोटिस दिये गये थे व पैनल्टी की रसीदे भी काटी गयी थी , लेकिन इन सब महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक करने में विधिक त्रुटि की है । विवादित भूमि पर अपीलार्थिया की दुकानात काफी वर्षो से बनी हुई है तथा वह काबिज चली आ रही है जिसके बाबत अपीलार्थिया ने सिविल न्यायाधीश (क.ख.) नीमकाथाना के समक्ष एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया था जिसमें मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौके की रिपोर्ट मंगवाई जिसमें अपीलार्थिया की दुकाने निर्मित दर्शित है । उक्त वाद में सरकार एवं तहसीलदार को ता–फैसला वाद अस्थाई निषधाज्ञा से दुकानों की तोड फोड करने से पाबन्द किया हुआ है । उनका कहना था कि वर्ष 1975 में हुये आवंटन का नामांतरकरण तहसीलदार द्वारा वर्ष 2009 में अर्थात 34 वर्ष बाद तस्दीक किया है, जो भू आवंटन नियमों के विपरीत होने से निरस्तनीय है तथा इसके खिलाफ अपीलार्थी की अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के महत्पूर्ण तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश व प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किये जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि का आवंटन रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 29.12.1975 को किया गया था । उक्त आवंटन आदेश एवं उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना के आदेश दिनांक 27.2.2009 व स्थगन आदेश 3.6.09 के तहत प्रश्नगत नामांतरकरण भरा जाकर तस्दीक किया गया है । उनका कहना था कि अपीलान्ट को विवादित भूमि के आवंटन से आपत्ति थी तो उसे आवंटन आदेश को चुनौती देनी चाहिये थी, लेकिन अपीलान्ट द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 29.12.75 को चेजेन्ज नहीं किया है । उनका कहना था कि जिस आवंटन आदेश की पालना में प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक हुआ है वह तब तक कानूनी रूप से निरस्त नहीं किया जा सकता जब तक आवंटन आदेश सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं हो जाता । विवादित भूमि पर मस्जिद टोडा का भवन बना हुआ है जहॉ आस पास के लोग नमाज पढते हैं तथा मस्जिद बोर्ड ऑफ वक्फ जयपुर से रजिस्टर्ड है । अपीलान्ट की प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अपील जिला कलक्टर सीकर ने अपीलाधीन आदेश द्वारा खारिज कर तहसीलदार नीमकाथाना का आदेश दिनांक 5.6.2009 बाबत नामांतरकरण संख्या 1121 यथावत रखा है , जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में प्रश्नगत नामांतरकरण आवंटन सलाहकार समिति ग्राम टोडा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर दिनांक 29.12.75 एवं उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना के पत्रांक 262 (राजस्व) दिनांक 27.2.2009 व स्थगन आदेश उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना दिनांक 3.6.09 को निर्णय होने पर आदेशों की पालना में पटवारी हल्का द्वारा मस्जिद ग्राम टोडा के नाम भरा गया था जिसे तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा मुताबिक आवंटन आदेश उप खण्ड अधिकारी दिनांक 5.6.09 को स्वीकार किया गया । अपीलान्ट यदि प्रश्नगत नामांतरकरण से व्यथित थी तो उसे आवंटन आदेश दिनांक 29.12.1975 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिये था । चूंकि नामांतरकरण की कार्यवाही भू राजस्व की देयता के लिये राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों की एक मात्र प्रक्रिया है जिसमें पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं हो सकता । विवादित भूमि में यदि अपीलान्ट के कोई अधिकार बनते हैं तो वे सक्षम न्यायालय से अपने अधिकार तय कराने के लिये स्वतंत्र है । जिला कलक्टर सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.12.2009 द्वारा तहसीलदार नीमकाथाना के आदेश दिनांक 5.6.2009 बाबत नामांतरकरण संख्या 1121 को न्यायोचित मानते हुये इस आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की है कि अपीलान्ट यदि नामांतरकरण संख्या 1121 दिनांक 5.6.09 तन ग्राम टोडा तहसील नीमकाथाना से व्यथित थी तो अपीलान्ट को आवंटन आदेश दिनांक 29.12.75 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिये था लेकिन अपीलान्ट द्वारा ऐसा नहीं किया गया ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 1121 दिनांक 5.6.09 जो तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा मुताबिक आवंटन आदेश उप खण्ड अधिकारी तस्दीक किया है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.12.2009 द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण को न्यायोचित मानते हुये अपीलान्ट की अपील खारिज की है, जिनमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर